रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265978
CG-DL-E-04092025-265978

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]	**नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2025/भाद्र 12, 1947**
No. 557]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2025/BHADRA 12, 1947**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के संस्थान (आईब्रिक)
(ब्रिक बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत एक शीर्ष स्वायत्तशासी निकाय है)

सा.का.नि. 601(अ).— आईब्रिक में निदेशक/ कार्यकारी निदेशक के पदों के भर्ती नियम 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन नियमों को आईब्रिक में निदेशक/ कार्यकारी निदेशक के पदों के भर्ती नियम 2025 कहा जाएगा।
ये भारत सरकार के अनुमोदन से अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. उद्देश्य

i. आईब्रिक के उद्देश्यों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित क्षमता, कौशल, योग्यता, अभिरुचि और मेधा के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती करके आईब्रिक के शीर्ष पदों को भरना।
ii. आईब्रिक की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करना, उनका चयन करना और उन्हें बनाए रखना।
iii. चयन की एक निष्पक्ष और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करना।

iv. आईब्रिक को सशक्त बनाने तथा आईब्रिक के उद्देश्यों को पूरा करने को समाहित करना।

v. शीर्ष पदों पर भर्ती के मामले में एक ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराना, जो न्यायोचित, निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

vi. भर्ती के मामले में प्रासंगिक सरकारी अनुदेशों और निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. परिभाषाएँ एवं संक्षिप्ताक्षर

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा

क. **आयु**: आयु का तात्पर्य जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन/कक्षा-10 के प्रमाण पत्र या इन नियमों में निर्दिष्ट मैट्रिकुलेशन/कक्षा-10 के प्रमाण पत्र के समकक्ष प्रमाण पत्र में उल्लिखित वैध आयु से है।

ख. **स्वायत्तशासी निकाय**: का तात्पर्य आईब्रिक के 13 स्वायत्तशासी निकायों में से कोई भी निकाय है।

ग. **ब्रिक**: से तात्पर्य बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) के नियंत्रणाधीन 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद' से होगा, जिसमें डीबीटी के 13 स्वायत्तशासी निकाय शामिल हैं और जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत दिनांक 10.11.2023 को पंजीकृत हुए है।

घ. **उपनियम**: का तात्पर्य ब्रिक के उपनियमों से होगा, जिन्हें समय-समय पर डीबीटी के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) की वित्तीय सहमति तथा बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तैयार एवं संशोधित किया गया हो।

ङ. **अभ्यर्थी**: अभ्यर्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट किसी भी पद के लिए विचार किए जाने के पात्र है।

च. **डीबीटी**: से तात्पर्य बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है।

छ. **निदेशक/कार्यकारी निदेशक**: से आई ब्रिक के निदेशक/कार्यकारी निदेशक अभिप्रेत है।

ज. **डीओपीटी**: से भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अभिप्रेत है।

झ. **शासी निकाय**: शासी निकाय से वही तात्पर्य है जैसा कि ब्रिक के संस्था के बहिर्नियम और उपनियमों में उल्लेख किया गया है।

ञ. **आई ब्रिक**: आई ब्रिक से तात्पर्य जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा नवाचार परिषद के 13 संस्थानों अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र (सीडीएफडी), हैदराबाद, जैवसंसाधन तथा स्थायी विकास संस्थान (आईबीएसडी), इंफाल, जीव विज्ञान संस्थान (आईएलएस), भुवनेश्वर, स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान (इनस्टेम), बंगलुरु, राष्ट्रीय कृषि-खाद्य और जैव विनिर्माण संस्थान (एनएबीआई), मोहाली, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी), मानेसर, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (एनसीसीएस), पुणे, राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान केंद्र (एनआईआई), नई दिल्ली, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी), हैदराबाद, राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (एनआईबीएमजी), कल्याणी, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर), नई दिल्ली, राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र (आरजीसीबी), केरल और ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद में से कोई भी संस्थान है।

ट. **वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: से तात्पर्य उस स्तर तथा वेतन मैट्रिक्स से है जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 में निर्धारित किया गया है।

ठ. **संस्था के बहिर्नियम**: से तात्पर्य संस्था के बहिर्नियम तथा उसके नियमों और विनियमों से है जिनमें ब्रिक की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है।

ड. **भर्ती नियम (आर.आर.एस.)**: से तात्पर्य उन नियमों से होगा जिन्हें इन नियमों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट पदों पर भर्ती करने के लिए बनाया गया है और जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ढ. **अनुसूची**: से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से हैं।

ण. **सर्च सह-चयन समिति (एस सी एस सी)** : का तात्पर्य वही है जैसा कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शों में परिभाषित किया गया है।

त. **चयन**: से कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से सर्च-सह चयन समिति **(**एस.सी.एस.सी.**)** के माध्यम से चयन से है।

- **i.** प्रत्येक पद के लिए मेधा के आधार पर एस.सी.एस.सी. द्वारा अनुशंसित पैनल को लागू करने से पहले अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और यह पैनल एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।
- **ii.** नियुक्ति प्रस्ताव केवल उसी पद के लिए दिया जाएगा जिस पद के लिए विधिवत् विज्ञापन जारी किया गया हो।
- **iii.** प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया को जबतक उस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी न किया गया हो या सरकार द्वारा कोई अन्य निर्णय न लिया गया हो, सामान्यत: उसे शुरू करने की तारीख से अधिकतम 06 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा प्रक्रिया को कम से कम समय में पूरी करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।
- **iv.** यदि यह पाया जाता है कि कोई पद न्यूनतम 2 बार विज्ञापन जारी किए जाने के बावजूद भी निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नहीं भर पाता है तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री के अनुमोदन से भर्ती नियमों के उपबंधों में समुचित संशोधन किया जाएगा और भर्ती नियमों के संशोधित उपबंधों के साथ भर्ती प्रक्रिया पुन: शुरू की जाएगी।

4. नियुक्ति प्राधिकारी तथा अनुमोदन प्राधिकारी - मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी), भारत सरकार के अनुमोदन से माननीय मंत्री, बायोटेक्नोलॉजी विभाग।

5. प्रतिनियुक्ति की अवधि - अधिकतम अवधि 05 वर्ष, पदधारक के कार्यकाल में किसी भी विस्तार के लिए ए.सी.सी. का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

6. अनर्हता: नीचे उल्लिखित व्यक्ति नियुक्ति/सेवा के लिए अयोग्य माने जाएंगे:

i. जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

ii. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति पर इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

iii. जिस व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त पर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा आपत्ति की गई हो/जिसकी पहचान पुलिस द्वारा सत्यापित न की गई हों।

7. नियुक्ति को निरस्त किया जाना:

प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है यदि नियुक्त व्यक्ति किसी भी स्तर पर या नियुक्ति के पश्चात

i. कोई सूचना छिपाई हो, गलत जानकारी दी हो या गलत साधन या आशय से नियुक्ति के लिए नकली प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किया हो।

ii. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) के तहत किसी आपराधिक कृत्य के लिए दोषी पाया गया हो और भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के किसी उपबंध के अंतर्गत दंडित किया गया हो।

iii. ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हो।

8. भर्ती नियमों की आवधिक समीक्षा

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए उपबंधों की प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाएगी।

9. शिथिल/संशोधित/परिवर्तित करने की शक्तियां

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के किसी भी उपबंध को बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माननीय मंत्री के अनुमोदन से शिथिल/संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते वे भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप हों।

10. न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

आईब्रिक से संबंधित किसी मामले में ब्रिक एवं अन्य के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में यह संबंधित आईब्रिक के राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

11. व्यावृत्ति खंड

इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची – आईब्रिक

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या यह चयन पद या गैर चयन पद है?	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	नियुक्ति की पद्धति, सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/ अल्पावधि अनुबंध के आधार पर भर्ती के मामले में पात्रता मानदण्ड	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसके संघटक क्या हैं	वैसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आईब्रिक में निदेशक/ कार्यकारी निदेशक	01	लागू नहीं	लेवल 16 (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)	1. केंद्र सरकार/राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थानों, सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों आदि के वैज्ञानिक। (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारित करते हों। (ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर लेवल 15 या समकक्ष के पद पर 1 वर्ष की सेवा की हो या; (iii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर लेवल 14 या समकक्ष के पद पर 4 वर्षों की सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं

										की हो तथा निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखते हों। **(i) शैक्षिक योग्यता** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रासायन या रासायन या कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञान/ फार्मास्युटिकल विज्ञान/ कृषि विज्ञान / वनस्पति विज्ञान/ पशु चिकित्सा विज्ञान या सम्बद्ध क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी); या रासायन/जैव चिकित्सा/ फार्मास्युटिकल इंजीनीयरिंग में पीएच्रडी या मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा विज्ञान के किसी क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एम.डी.) **(ii) अनुभव** उपर्युक्त (i) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात जैव		

										प्रौद्योगिकी/ जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का कम से कम बीस वर्ष का अनुभव। **(iii) वांछनीय** (क) बड़े कार्यक्रम केन्द्रों, संस्थानों को सफलतापूर्वक चलाने का अनुभव (ख) विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम को मार्गदर्शन देने का अनुभव **(ग)** प्रमाणित पिछली उपलब्धियां, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उत्कृष्ट लेख तथा बड़ी संख्या में प्रशंसा-पत्र, पेटेंट और पुरस्कार **<u>आयु सीमा</u>** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।			

[फा. सं. ए.आई.-99011/1/2025-एआईपीएसयू-डीबीटी (ई-20747)]

एकता विश्नोई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Biotechnology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2025

INSTITUTIONS OF BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INNOVATION COUNCIL (iBRIC)

(BRIC IS AN APEX AUTONOMOUS BODY UNDER DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

G.S.R. 601(E).—RECRUITMENT RULES 2025 FOR THE POSTS OF DIRECTOR/EXECUTIVE DIRECTOR IN iBRIC

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

These Rules may be called *"Recruitment Rules 2025 for the posts of Director/Executive Director in iBRIC"*.

They shall come into force from the date of notification with the approval of the Government of India.

2. OBJECTIVES

i. To fill up apex posts of iBRIC by recruiting suitable persons in terms of requisite capabilities, skills, qualifications, aptitude and merit etc. with a view to fulfil the objectives of iBRIC.

ii. To attract, select and retain the best talent available keeping in view the changing needs of the iBRIC

iii. To establish an objective and reliable system of selection.

iv. To integrate with empowerment of the iBRIC and fulfilment of the BRIC's objectives.

v. To provide for a process, which is fair, objective and transparent in matters of recruitment to the apex post.

vi. To ensure compliance with the relevant government instructions and directives on recruitment.

3. DEFINITIONS & ABBREVIATIONS

In these Rules, unless the context otherwise requires, the following terms shall mean as under:

a) **Age:** Age means the age as mentioned in the birth certificate or Matriculation/Class-X Certificate or any other certificate equivalent to Matriculation/Class-X Certificate of the candidate as specified in these rules.

b) **Autonomous Body:** shall mean any of the 13 Autonomous Bodies of the iBRIC.

c) **BRIC:** shall mean the 'Biotechnology Research and Innovation Council' an apex autonomous body under DBT subsuming the existing 13 autonomous bodies of DBT and registered under Societies Registration Act, 1860 on 10.11.2023.

d) **Bye Laws**: Shall mean the Bye Laws of BRIC framed and amended from time to time having the financial concurrence of the Integrated Finance Division (IFD) of Department of Biotechnology (DBT) and approval of the Minister in charge of the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

e) **Candidate:** means the person who is eligible for consideration of any of the positions specified in the Schedules of these rules.

f) **DBT**: shall mean the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India.

g) **Director/Executive Director:** shall mean the Director/Executive Director of iBRIC.

h) **DoPT**: shall mean the Department of Personnel and Training, Government of India.

i) **Governing Body:** shall have the same meaning as defined in Memorandum of Association and the Bye Laws of the BRIC.

j) **iBRIC:** shall mean any of the 13 Institutions of Biotechnology Research and Innovation Council i.e. Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFD), Hyderabad, Institute of Bioresources and Sustainable Development (IBSD), Imphal, Institute of Life Sciences

(ILS), Bhubaneswar, Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine (inStem), Bangalore, National Agri-Food and Biomanufacturing Institute (NABI), Mohali, National Brain Research Centre (NBRC), Manesar, National Centre for Cell Science (NCCS), Pune, National Institute of Immunology (NII), New Delhi, National Institute of Animal Biotechnology (NIAB), Hyderabad, National Institute of Biomedical Genomics (NIBMG), Kalyani, National Institute of Plant Genome Research (NIPGR), New Delhi, Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB), Kerala and Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), Faridabad.

k) **LEVEL in the PAY MATRIX:** means the 'LEVEL' and 'PAY MATRIX' as defined in the Central Civil Services (Revised Pay) Rules 2016.

l) **Memorandum of Association:** means Memorandum of Association and Rules & Regulations describing the terms & conditions of the BRIC.

m) **Recruitment Rules (RRs):** shall mean the Rules framed for the purpose of Recruitment to the posts as specified in the Schedules of these Rules and approved by the Minister in charge of the Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology.

n) **Schedule**: shall mean the Schedule attached to these rules.

o) **Search cum Selection Committee (ScSC):** shall have the same meaning as defined in the DoPT guidelines issued from time to time.

p) **Selection :-** Through Search-cum-Selection Committee (ScSC) with the approval of Hon'ble Minister as per DoP&T guidelines issued from time to time.

i. The panel recommended by the ScSC in order of merit for each post shall be approved by the Approving Authority before being implemented and shall be valid for a period of one year.
ii. Offer of appointment shall be made only for the post which had been duly advertised.
iii. Each recruitment exercise once initiated shall ordinarily be finalized within a maximum period of 06 months, unless stayed by orders of any Court or decided otherwise by the Government. Efforts shall be made to complete the exercise in the minimum period.
iv. In case it is noticed that a post is not getting filled up by the prescribed mode of recruitment, despite being advertised minimum two (02) times, suitable amendment in the provisions of the Recruitment Rules may be done with the approval of Minister, Department of Biotechnology and the recruitment process may be again initiated with amended provisions of the Recruitment Rules.

4. **APPOINTING AUTHORITY AND APPROVING AUTHORITY** - Minister, Department of Biotechnology with the approval of the Appointment Committee of the Cabinet (ACC) of Govt. of India.

5. **PERIOD OF DEPUTATION –** Maximum period of 5 years. Any extension in the tenure of incumbent will require approval of ACC.

6. **DISQUALIFICATION:** Any of the persons mentioned below would stand disqualified for the appointment/service:
   i. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
   ii. who is having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person; Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.
   iii. whose character and antecedent has been objected to by the District Magistrate/ Collector/ whose identity has not been established by the Police.

7. **REVOCATION OF APPOINTMENT**

Can be done at any stage during the period of deputation if the appointed person at any stage before or after appointment has:

   i. withheld information, given false information or provided false certificates/testimonials so as to secure appointment through wrongful means or intent,

ii. has been convicted of a criminal offence under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and awarded punishment under any of the provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).
iii. indulged in activities which are prejudicial to the interests of the STATE.

8. PERIODIC REVIEW OF RECRUITMENT RULES

Provisions of the Recruitment Rules shall be compulsorily reviewed once in 05 years with view to affecting the changes as are necessary to bring them in conformity with the changed position in accordance with instructions issued by DoPT from time to time.

9. POWERS TO RELAX/AMEND/MODIFY

Notwithstanding anything contained in these Rules any of the provisions in these Rules can be relaxed/amended/modified with the approval of the Minister, Department of Biotechnology provided they are in conformity with the instructions of the Government of India.

10. JURISDICTION OF THE COURTS

In the case of any dispute arising between BRIC and others in the affairs related to an iBRIC, the jurisdiction will be the Honourable High Court of the state of the respective iBRIC.

11. SAVING CLAUSE

Noting in those rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-iBRIC

Name of Post	Number of Post	Classification	LEVEL in the PAY MATRIX	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation/short-term-contract, eligibility criteria	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Director/ Executive Director in iBRIC	13	Not applicable	Level-16 (as per 7th CPC)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)	Scientists from Central/ State Governments, Research Institutes, Autonomous Bodies, Government funded Research Organizations/ Institutes etc. (i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre / Department; or (ii) With 1 year service rendered in post of Level 15 on regular basis or equivalent in the parent Cadre / Department; or (iii) With 4 years service rendered in post of Level 14 on regular basis or equivalent in the parent Cadre / Department and possessing the qualification & experience as below:	Not applicable	Not applicable

										(i) Educational Qualification Doctor of Philosophy (Ph.D.) in any discipline of Life Sciences/ Biotechnology/ Biochemistry /Chemistry/ Computational Biology/ Pharmaceutical Sciences/ Agricultural Sciences / Plant Sciences/ Veterinary Sciences/ related disciplines; or Ph.D in Engineering or Technology in disciplines like Chemical/ Biomedical /Pharmaceutical engineering or Doctor of Medicine (M.D.) in any branch of medicine from a recognised University or Institute. **(ii) Experience** Minimum Twenty years of Research and Development experience in the field of Biotechnology / Life Sciences after possessing the minimum educational qualification as prescribed in (i) above. **(iii) Desirable** **(a)** Experience in successfully running large programme, centre, institutions.		

										(b) Experience of guiding research activates in the area of specialization. **(c)** Proven track record, excellent publications in reputed journals and with high number of citations, patent and awards. **<u>Age-Limit</u>** The maximum age limit for appointment on deputation (including short-term contract) should not exceed 58 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. AI-99011/1/2025-AIPSU-DBT (E-20747)]

EKTA VISHNOI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA